संख्या-51/2025/801/001-12-5099-67-2025

प्रेषक,

विनोद कुमार वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक 06 अगस्त, 2025**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 01-केन्द्र प्रायोजित याजनायें, 0111-नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-भू०सं०/बाह्रो०यो०/187/पुनर्विनियोग/NMNF/2025-26, दिनांक 18 जून, 2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 01-केन्द्र प्रायोजित याजनायें, 0111-नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना के मानक मद 27-सब्सिडी में रू० 215.42 लाख एवं 42-अन्य व्यय में रू० 117.07 लाख अर्थात कुल धनराशि रू० 332.49 लाख (रूपये तीन करोड़ बत्तीस लाख उनचास हजार मात्र) की संलग्न प्रपत्र बी०एम०-9(भाग-1) पर वित्त विभाग द्वारा आवंटित **आर.ई.संख्या–बजट-1-25, दिनांक 22 जुलाई, 2025** में प्रदत्त सहमति के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजनान्तर्गत निर्गत गाइडलाइन एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किये जाने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उ०प्र० का होगा।
2. योजनान्तर्गत केन्द्रांश अवमुक्त किये जाने विषयक भारत सरकार के पत्र दिनांक 30.05.2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कृषि निदेशक, उ०प्र० का होगा।
3. बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य कृषि निदेशक, उ०प्र० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. योजनान्तर्गत जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
5. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उ०प्र० का होगा।
6. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार / केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
7. स्वीकृत धनराशि का आहरण योजना की गाइडलाइन एवं तदविषयक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8. जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
9. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों में दिये गये निर्दशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 2,15,42,000 (रुपये दो करोड़ पन्द्रह लाख बयालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 2402007890111 नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग (के.60/रा.40-के.+रा.) **मानक मद** 27 सब्सिडी (2) रुपये 1,17,07,000 (रुपये एक करोड़ सत्रह लाख सात हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 2402007890111 नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग (के.60/रा.40-के.+रा.) **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
विनोद कुमार वर्मा
अनु सचिव।

संख्या-51/2025/801/001-12-5099-67-2025, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार प्रथम/द्वितीय-(सिविल/आडिट), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
6. समस्त जनपदीय कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार वर्मा
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग-1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)
A012-20252026-12-5099-67-2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
083	2402007890104 (नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबिल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना (के.60+रा.40/के.+रा.)	42 (अन्य व्यय)	7,41,26,000 रुपये सात करोड़ इकतालीस लाख छब्बीस हजार मात्र	3,24,22,000 रुपये तीन करोड़ चौबीस लाख बाईस हजार मात्र	-1,17,07,060 रुपये एक करोड़ सत्रह लाख सात हजार साठ मात्र	11707000 -	62421000 -	2025-2026
083	2402007890104 (नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबिल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना (के.60+रा.40/के.+रा.)	27 (मशिनरी)	15,01,00,000 रुपये पन्द्रह करोड़ एक लाख मात्र	9,44,33,000 रुपये नौ करोड़ चौवालीस लाख तैंतीस हजार मात्र	-2,15,42,520 रुपये दो करोड़ पन्द्रह लाख बयालीस हजार पाँच सौ बीस मात्र	21542000 -	12855000 -	2025-2026

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण

Digitally signed by RAMESH CHANDRA TIWARI
Date: 21-07-2025 14:03:33

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
083	2402007890111 (नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग (के.60/रा.40-के.+रा.)	27 (मशिनरी)	8,57,00,000 रुपये आठ करोड़ सत्तावन लाख मात्र	2,15,42,520 रुपये दो करोड़ पन्द्रह लाख बयालीस हजार पाँच सौ बीस मात्र	21542000 -	107242000 -	2025-2026
083	2402007890111 (नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग(के.60/रा.40-के.+रा.)	42 (अन्य व्यय)	3,85,60,000 रुपये तीन करोड़ पचासी लाख साठ हजार मात्र	1,17,07,060 रुपये एक करोड़ सत्रह लाख सात हजार साठ मात्र	11707000 -	50267000 -	2025-2026

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित गर्हों के अधीन वित्तीय प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहें :-

1-स्तम्भ-3 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-4 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से हो रही है :-

अ- योजनान्तर्गत एनोकेशन की धनराशि के सापेक्ष प्राविधान अधिक होने के कारण।

2-स्तम्भ-8 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-

ब- चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्यांश के प्राविधान की धनराशि न होने के कारण केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि की आवश्यकता है।

3-प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-आर ई- बजट-1-2025 -2025-26, दिनांक 22 जुलाई, 2025

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(विनोद कुमार वर्मा)
अनु सचिव।

(रमेश चन्द्र तिवारी)
संयुक्त सचिव।

le No. 12-5099/67/2025-कृषि अनुभाग-5-agriculture department (Computer No. 194210)
generated from eOffice by रमाशंकर यादेव, ROU(SR)-AGRICULTURE, संयोजन अधिकारी, कृषि विभाग on 06/08/2025 01:35 PM

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-A012-20252026-12-5099-67-2025, दिनांक 06 अगस्त, जून, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(3) प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(4) वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (बी0एम0-9 तीन प्रतियों में)।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1
(8) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार वर्मा)
अनु सचिव।

File No. 12-5099/67/2025-कृषि अनुभाग-5-agriculture department (Computer No. 1942101)
Generated from eOffice by उमाशंकर पटेल, RO(USP)-AGRICULTURE, समीक्षा अधिकारी, कृषि विभाग on 06/08/2025 01:36 PM

http://shasanade-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।